27.11.2024

(अन्तर्गत छ.ग. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 44 (1) एवं अन्तर्गत धारा 51 पुर्नविलोकन आदेश)
(पारित आदेश दिनांक 27.11.2024)

– प्रकरण प्रस्तुत।

– अपीलार्थी गंभीरदास व. तेजराम, जाति पनिका, निवासी ग्राम घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा ग्राम व तहसील पत्थलगांव स्थित भूमि ख.नं. 333/1 रकबा 1.052 हे. के संबंध नायब तहसीलदार धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (म.प्र.) के द्वारा तहसील व ग्राम पत्थलगांव के संशोधन पंजी में नामांतरण क्रमांक 9 पारित आदेश दिनांक 03.02.1957 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालयीन राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 202406031100002/37/अ–6/2023–24 पंजीबद्ध किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिनांक 20.04.1956 को निष्पादित पंजीकृत बैनामा को माननीय सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निरस्त कराये जाने संबंधी अभिकथन किया जाकर वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामांतरण क्र. 9 में क्रेता–विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं होने, ईश्तहार का प्रकाशन नहीं होने तथा पक्षकारों को सूचना नहीं दिये जाने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 के तहत नायब तहसीलदार धरमजयगढ़ के द्वारा पत्थलगांव के संशोधन पंजी में नामांतरण क्रं. 09 में पारित आदेश दिनांक 03.02.1957 को निरस्त किया गया।

– चूंकि यह ज्ञात होने पर कि छ.ग.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 1 की उपधारा (3) के अनुसार " यह संहिता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।" उक्त उपधारा के अधीन राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक 11135 – सात – ना. दिनांक 21.09.1959 को मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02.10.1959 को प्रकाशित किया गया तथा इसे दिनांक दिनांक 02.10.1959 से प्रभावशील किया गया। तथा इसे दिनांक 02.10.1959 से प्रभावी किया गया। चूंकि अपील हेतु प्रस्तुत नामांतरण आदेश दिनांक 20.09.1957 अर्थात संहिता के प्रभावी होने से पूर्व का आदेश है, इसलिए प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में सुनवाई या विचार करने का क्षेत्राधिकार भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत इस न्यायालय को प्राप्त नही है। दोनों पक्षों के राजीनामा एवं सदभावना वश इस न्यायालय के द्वारा त्रृटिवश अपील स्वीकार कर आदेश पारित किया गया था।

- प्रकरण में पारित आदेश का संज्ञान होने पर छ.ग. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 51 के अनुसार प्रत्येक राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वतः उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुर्नविलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वो ठीक समझे। जिस पर अपीलीय प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 पर पुनः सुनवाई कर संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किये जाने हेतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2024 को कलेक्टर महोदय जशपुर के समक्ष धारा 51 छ.ग.भू.रा.संहिता 1959 के तहत् पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर महोदय, जशपुर द्वारा 21.11.2024 को पुर्नविलोकन की अनुमति

प्रदान करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण गुण दोष पर निराकरण हेतु इस न्यायालय को वापस किया गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी एवं उत्तरवादी को नोटिस जारी किया गया। ग्राम तामिली कोटवार के द्वारा अपीलार्थी के ग्राम व तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ का होना एवं उत्तरवादी को शहर से बाहर गोवा जाना बताये जाने के कारण नोटिस अदम तामिल में वापस किया गया।

अतः छ.ग.भू.रा.संहिता 1959 अधिसूचना क्रमांक 11135 – सात – ना, दिनांक 21.09.1959 के अनुसार दिनांक 02.10.1959 से प्रभावशील है जबकि वाद भूमि का अंतरण दिनांक 20.04.1956 को किया गया है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार धरमजयगढ़ द्वारा नामांतरण क्र. 9 दिनांक 03.02.1957 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध छ.ग.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 44 (1) के अधीन अपील प्रस्तुत किया गया है। जिस पर इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 202406031100002/37/अ–6/2023–24 दर्ज कर, उभय पक्ष को सुनवाई कर दिनांक 28.06.2024 के उक्त नामांतरण आदेश निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है।

चूंकि उक्त ग्राम पत्थलगांव के संशोधन पंजी में दर्ज ना.क्र. 9 में पारित आदेश दिनांक 03.02.1957 का अंतरण एवं नामांतरण छ.ग. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 44 (1) के प्रभावशील होने के पूर्व का होने एवं संहिता प्रभावशील होने के पूर्व के आदेश का सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण पत्थलगांव के संशोधन पंजी में दर्ज नामांतरण क्रं. 09 पारित आदेश दिनांक 03.02. 1957 के विरुद्ध न्यायालयीन अपील रा. प्र.क्र. 202406031100002/37/अ–6/2023–24 गंभीर दास पिता तेज राम, जाति पनिका, निवासी ग्राम व तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ बनाम साजी लियोनार्ड आ0 अजित खेस्स, जाति उरांव ग्राम व तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.) में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 खारिज किया जाता है। साथ ही प्रकरण की वाद भूमि का राजस्व अभिलेख दिनांक 28.06.2024 के पूर्व की स्थिति में किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। आदेश की सूचना अपीलार्थी एवं उत्तरवादी को दिया जावे। आदेशानुसार पटवारी हल्का नं0 06 एवं भूईयां शाखा पत्थलगांव अभिलेख दुरुस्त करें। पश्चात प्रकरण नस्ती कर राजस्व अभिलेख कोष्ठ भेजे।

27/11/24

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पत्थलगांव,जि.जशपुर (छ.ग.)